

मध्यप्रदेश शासन

आयुष विभाग

वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल

क्रमांक २१४१/१६अ१७२/२३ /१/५९भोपाल, दिनांक ११/१०/२०२३

प्रति,

आयुक्त,

संचालनालय आयुष

म.प्र. भोपाल ।

विषय:- विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों से परिचर्चा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने बाबत ।

-----000-----

उपरोक्त विषयांतर्गत आयुष विभाग एवं मध्यप्रदेश राज्य औषधीय पादप बोर्ड की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रस्तावित है ।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माह के तीसरे शुक्रवार दिनांक २०/१०/२०२३ को अपरान्ह २.०० बजे से सायं ४.०० बजे तक होगी । उक्त बैठक में सर्वसंबंधितों को उपस्थित होने के लिए सूचित करने का कष्ट करें ।

  
(संजय कुमार मिश्र)

उप सचिव


मध्यप्रदेश शासन, आयुष

विभाग

क्रमांक २११०/२०२३/१/५९

भोपाल, दिनांक ११/०९/२०२३

१. निज सहायक, प्रमुख सचिव, आयुष विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
२. समस्त जिला आयुष अधिकारी, संभागीय आयुष अधिकारी एवं समस्त प्रधानाचार्य आयुर्वेद, होम्योपैथिक यूनानी महाविद्यालय जानकारी के साथ बैठक में उपस्थित होने हेतु, सूचनार्थ प्रेषित ।

  
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग

संचालनालय आयुष, म.प्र.

(भूतल "डी" विंग, सतपुडा भवन, भोपाल-462004)

E-mail:samanvay.ayushmp@mp.gov.in  
www.ayush.mp.gov.in

Office (0755)2571643

Fax (0755)2760225,2551527

क्रमांक/6/समन्वय/2023/2014  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16/10/2023

प्रमुख सचिव,  
म.प्र.शासन,  
आयुष विभाग,  
मंत्रालय भोपाल,


विषय:- विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर अधिकारियों एवं  
कर्मचारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने बावत् ।  
संदर्भ:- शासन पत्र क्रमांक 2782/2023/1/59 दिनांक 04.10.2023

--00--

विषयांतर्गत प्रकरण में लेख है कि संदर्भित पत्र के पालन में दिनांक 20.10.2023 को आयोजित की जाने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एजेन्डा निम्नानुसार है:-


1. मॉडल एच.डब्ल्यू.सी.
2. एच.डब्ल्यू.सी.में बिजली,पानी एवं शौचालय की स्थिति/प्रस्ताव
3. लंबित समयमान प्रकरण
4. लंबित परिवीक्षा प्रकरण

कृपया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एजेन्डा आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है ।

  
(सोनाली पौंक्षे वायंगणकर)  
आयुक्त  
संचालनालय आयुष म.प्र.

बैठक का एजेण्डा

1. न्यायालयीन प्रकरण एवं अवमानना प्रकरण।
2. विभागीय जांच अपराधिक प्रकरण।
3. शासकीय आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथी प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी की पदस्थापना।
4. लोक लेखा संबंधी समस्त कार्य।
5. राष्ट्रीय आयुष मिशन संबंधी समस्त कार्य।
6. विभागीय योजनाओं से संबंधित समस्त कार्य।
7. राज्य औषधि पादप बोर्ड संबंधी कार्य एवं देवारण्य योजना।
8. हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर से संबंधित कार्य।

  
(संजय कुमार मिश्र)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग

o/c